

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i),  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैत्र 10, 1910  
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAIRTA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1988

सा.का.नि. 414(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963  
(1963 का 30) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 10  
के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कान्डला पत्तन के न्यासियों के मंडल में न्यासी नियुक्त

करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 11 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त तालिका में न्यासियों के रूप में चुने जाने के लिए अधिसूचित करती है।

### तालिका

- |   |  |
|---|--|
| 1. अध्यक्ष  | —  |
| 2. उपाध्यक्ष  | —  |
| 3. सचिव (पत्तन),<br>परिवहन और मत्स्यपालन<br>विभाग, गुजरात सरकार | —गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                           |
| 4. निदेशक (जलभूतल),<br>जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                  | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                |
| 5. डिप्टी कलक्टर, सीमाशुल्क,<br>न्यू कांडला                     | —सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                        |
| 6. नेवल आफिसर इन्चार्ज,<br>सौराष्ट्र                            | —रक्षा सेवाओं—नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                    |
| 7. क्षेत्रीय अधीक्षक,<br>पश्चिमी रेलवे,<br>गांधीघाम             | —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                           |
| 8. कार्यपालक निदेशक,<br>तेल समन्वय समिति                        | —भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                        |
| 9. श्री अरुण कांत शाह   | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                 |
| 10. श्री मनोहर जी. कोतवाल                                       | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                 |
| 11. कैप्टन देवेन्द्र सिंह                                       | —इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।         |
| 12. श्री विलीप आर. पारीख  | —गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

13. श्री मनफुल चौपड़ा —पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री आर.एस. बन्सल —गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1988 में प्रभावी होगी।

[फा.स. पी टी-18011-5/87-पी टी]

बी.आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

## MINISTRU OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1988

G.S.R. 414(E).—In Exercise of the powers conferred by sub section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 14 in the said table as elected to be Trustees on a said table :—

#### TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary, Ports, Transport & Fisheries Department, Government of Gujarat.	— Representing the Government of Gujarat.
4. Director (Development), Ministry of Surface Transport	— Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Deputy Collector of Customs, New Kandla.	— Representing the Customs Department.
6. Naval Officer-in-Charge, Sourashtra.	— Representing the Defence Service—Navy.

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| 7. Area Superintendent Western Railway, Gandhidham           | — | Representing the Indian Railways.  |
| 8. Executive Director Oil Coordination Committee, New Delhi. | — | Representing the Indian Oil Corporation the Port.                            |
| 9. Shri Arunkant Shah  | — | Representing the Labour employed in the Port.                                |
| 10. Shri Manohar G. Kotwal                                   | — | Representing the Labour employed in the Port.                                |
| 11. Capt. Davinder Singh                                     | — | Representing the Indian National Shipowners Association.                     |
| 12. Shri Dilip R. Parikh                                     | — | Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry.                   |
| 13. Shri Man Paool Chopra                                    | — | Representing the Punjab, Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry. |
| 14. Shri R. S. Bursel  | — | Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.                |

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1988.

[F. No. PG-18011-5/87-PT]

B. R. CHAVAN, Jt. Secy.